फर्द अहकाम

कविता बनाम कजोड़मल वगैरह

नाम न्यायालय A. C. & E. M. (F. T.) SHAHPURA (JAIPUR)

केस संख्या 115/2024 दावा - 53,188

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	4/9/25	अभय पक्ष उपस्थित/अभिभाषक संघ न्यायिक कार्य स्थगित रखा/ PO साहब अन्य प्रशासनिक कार्य ...में व्यस्त... है। पत्रावली गत आदेशानुसार दि...... को पेश हो। 3/10/25 (रीडर)
	3/10/25	अभय पक्ष उपस्थित/अभिभाषक संघ न्यायिक कार्य स्थगित रखा/ PO साहब अन्य प्रशासनिक कार्य ...में व्यस्त... है। पत्रावली गत आदेशानुसार ~~दि.~~ 6/10/25 को पेश हो। (रीडर)
	6/10/25	अभय पक्ष उपस्थित/अभिभाषक संघ न्यायिक कार्य स्थगित रखा/ PO साहब अन्य प्रशासनिक कार्य ...में व्यस्त... है। पत्रावली गत आदेशानुसार दि...... को पेश 13/10/25 (रीडर)
[illegible]	13/10/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्ष ने कुर्रेजात रिपोर्ट पर कोई आपत्ति पेश नहीं कर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा अंतिम डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया एवं आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। सुना गया। पत्रावली वास्ते अंतिम आदेश दिनांक 17/10/25 को पेश हो। A. C. & E. M. (F. T.) SHAHPURA (JAIPUR)
	17/10/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि वकील उभयपक्ष कुर्रेजात रिपोर्ट से सहमत है। अत: दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अंतिम डिक्री किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर सुनाया गया। डिक्री तदनुसार हो। पत्रावली निर्णीत शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

A. C. & E. M. (F. T.)
SHAHPURA (JAIPUR)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर, राज0

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजीव कुमार खेदर, आर. ए. एस.

वाद संख्या :– 115/2024

शीर्षक

1. कविता बंसल पत्नी श्री दिनेश बंसल, उम्र वयस्क, जाति महाजन, निवासी 243, न्यू क्लोथ मार्केट, अहमदाबाद, राज्य गुजरात जरिये मुख्त्यारआम/अधिकृत व्यक्ति सुभाष जयपाल पुत्र श्री तामल राम, उम्र 42 वर्ष, जाति मेघवाल, निवासी नागाणा, तहसील आरंग, जिला बाडमेंर, राज0।

–वादीया

बनाम

1. कजोडमल पुत्र छोटूराम
2. सुणी देवी पत्नी फूलचन्द

समस्त वयस्क, जाति यादव, निवासी नवलपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

3. राजस्थान सरकार (भू–धारक) जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)
4. उपपंजीयक एवं उपतहसीलदार, उपपंजीयन व उपतहसील कार्यालय, मनोहरपुर, जिला जयपुर, राज0।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा अनतर्गत 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 17/10/25

प्रकरण संक्षेप्त में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 1944 /2 रकबा 0.61 है० वाकै ग्राम नवलपुरा, पटवार हल्का नवलपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है, जिसकी खातेदारी में वादीया कविता बंसल पत्नी दिनेश बंसल का 15/61 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 कजोडमल पुत्र छोटूराम का 31/122 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 सुणीदेवी पत्नी फूलचन्द का 1/2 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी संवत् 2074–2077 खाता संख्या 22 संलग्न वाद पत्र है। यहकि वाद पत्र के जिमन नंबर 1 में वर्णित खातेदारी भूमि को वादीया एव प्रतिवादी सख्या 1 व 2 वाद पत्र के जिमन नम्बर 1 में वर्णित हिस्से अनुसार आपसी मन–बट से काबिज रहकर काश्त एव अपने उपयोग–उपभोग में लेते आ रहे हैं। वाद पत्र के जिमन नम्बर 1 में वर्णित आराजी सडक से लगती हुई है जो काफी कीमती है। वाद पत्र के जिमन नम्बर 1 में वर्णित खातेदारी भूमि का वादीया एवं प्रतिवादी सख्या 1 व 2 के मध्य विधिक बटवारा नहीं हुआ है। इस कारण प्रतिवादी सख्या 1 व 2 के मन में दुर्भावना

सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज

आ गई है और उन्होंने अपने परिवारजन के साथ मिलकर वादीया के विरूद्ध एक नाजायज सगठन बना लिया है तथा आये दिन प्रतिवादी सख्या 1 व 2 अपने परिवारजन को साथ लेकर वादीया को वादग्रस्त भूमि में उसके हक हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल करने को आमादा रहते है तथा नाजायज रूप से हैरान–परेशान करते रहते हैं तथा वादग्रस्त भूमि का बिना बटवारा करवाए ही आराजी के विशिष्ट भू–भाग पर जबरन कब्जा करने व विशिष्ट भू–भाग को अजनबी व्यक्ति को बेचान कर उसके पक्ष में अन्तरण डीड प्रतिवादी संख्या 4 के कार्यालय में पंजीबद्ध कराने व विशिष्ट भू–भाग पर जबरन कब्जा कराने पर आमादा है। दिनाक 20.09.2024 को वादीया का अधिकृत व्यक्ति वाद पत्र के जिमन नम्बर 1 में वर्णित भूमि में वादीया के हक हिस्से की भूमि की सार–सम्भाल कर रहा था। तब प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अपने परिवारजन को साथ लेकर एक राय होकर आए और वादीया के अधिकृत व्यक्ति को वादीया की भूमि की सार–सम्भाल करने से रोकने लगे तो वादीया के अधिकृत व्यक्ति ने उन्हें ऐसा करने से मना किया तो वे सभी वादीया के अधिकृत व्यक्ति के साथ झगडा–फिसाद करने लग गये। तब आस–पड़ौस के व्यक्तियों ने आकर वादीया के अधिकृत व्यक्ति का बीच–बचाव कराया तथा प्रतिवादी सख्या 1 व 2 व उनके परिवारजन को समझा–बुझाकर शान्त किया तब वादीया के अधिकृत व्यक्ति ने प्रतिवादी सख्या 1 व 2 को वादग्रस्त आराजी का वाद पत्र के जिमन नम्बर में वर्णित हक–हिस्से अनुसार बंटवारा करवाने को कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादग्रस्त आराजी का बटवारा करवाने से मना कर दिया तथा वापस जाते समय प्रतिवादी सख्या 1 व 2 ने वादीया के अधिकृत व्यक्ति को ऐलानिया धमकी दी कि वे वादग्रस्त आराजी का बिना बटवारा करवाए ही वादग्रस्त आराजी में वादीया को उसके हक–हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल कर विशिष्ट भू–भाग पर जबरन कब्जा करेंगे तथा आराजी के विशिष्ट भू–भाग को बिना बटवारा करवाए ही किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान कर उसके पक्ष में प्रतिवादी संख्या 4 के कार्यालय में विकय पत्र पंजीबद्ध करवाकर अजनबी व्यक्ति का विशिष्ट भू–भाग पर जबरन कब्जा करवाकर रहेंगे। यदि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अपने मन्सूबे में सफल हो गये और वे वादग्रस्त आराजी का बिना बंटवारा करवाए ही आराजी में वादीया को उसके हक–हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल कर स्वयं कब्जा कर लेंगे तथा वादग्रस्त आराजी का बिना बंटवारा करवाए ही उसके विशिष्ट भू–भाग को किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान कर प्रतिवादी संख्या 4 के कार्यालय में उसके पक्ष में अन्तरण डीड पजीबद्ध करवाकर अजनबी व्यक्ति का विशिष्ट भू–भाग पर कब्जा करवा देंगे तो इससे वादीया के खातेदारी हक अधिकारों का हनन होगा जिससे वादीया को अकथनीय हानि होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से धनराशि के रूप में नही की जा सकेगी तथा पक्षकारान में अनावश्यक रूप में मुकदमेबाजी बढेगी। इस कारण वादीया को प्रतिवादीगण के खिलाफ वादग्रस्त आराजी का हक हिस्से व बाई मिट्स

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज

एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बटवारा कराने के लिए व उन्हें स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के लिए प्रस्तुत वाद माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है।

अन्त में निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 1944/2 रकबा 0.61 हे0 वाके ग्राम नवलपुरा, पटवार हल्का नवलपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर का वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य उनके हक हिस्से एवं बाई मिट्स एण्ड बॉण्ड्स के आधार पर बटवारा किया जावे तथा उक्त बटवारे का आराजी के राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करवाया जावे तथा वादीया के बंटवारे मे आई भूमि का वादीया को अलग से कब्जा दिलवाया जावे एवं प्रतिवादीगण व उनके नौकर, एजेन्ट, प्रतिनिधि, स्थानापन्न वारिसान आदि को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादीया के बंटवारे में आई भूमि के कब्जे काश्त एव उपयोग–उपभोग मे कोई बाधा कारित नही करें और न करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री मंगलचन्द यादव ने वकालतनामा पेश कर दावा प्राथमिक डिक्री किये जाने हेतु सहमति दी एवं आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। वकील वादी ने भी दावा प्राथमिक डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। वकील उभयपक्ष की सहमति होने से दावा दिनांक 06.12.2024 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री रामनिवास गुर्जर ने वकालतनामा पेश किया जिस पर वकील प्रतिवादी मंगलचन्द यादव ने नो ऑब्जेक्शन प्लीड किया। प्रकरण में विभिन्न प्रार्थना–पत्रों का विधिवत नियमानुसार निस्तारण किया गया।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक/भू0अ0/2025/4263 दिनांक 02.07.2025 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का वकील उभयपक्ष द्वारा अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत वकील उभयपक्ष ने कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा अंतिम डिक्री किये जाने हेतु सहमति दी एवं आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। बंटवारा/कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट सही होने से एवं वकील उभयपक्ष द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर कोई आपत्ति पेश नहीं करने से एव वकील उभयपक्ष की कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा अंतिम डिक्री किये जाने की सहमति होने से, प्रकरण को कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज

आदेश

उपर्युक्त विवेचनों के फलस्वरूप वादी का वाद कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता एवं आराजी खसरा नम्बर 1944/2 रकबा 0.61 है0 वाके ग्राम नवलपुरा, पटवार हल्का नवलपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर के खातेदारान के मध्य बंटवारा कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

1. कजोड़मल यादव पुत्र बोदूराम यादव हि0 31/92, सुणी देवी पत्नि फूलचन्द हि0 61/92 जाति अहीर सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 1944/2/1 रकबा 0.46 है0 किता 1 कुल रकबा 0.46 है0 भूमि रहेगी।
2. कविता बंसल पत्नि दिनेश बंसल जाति महाजन सा0 243, न्यू क्लॉथ मार्केट अहमदाबाद के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 1944/2/2 रकबा 0.15 है0 किता 1 कुल रकबा 0.15 है0 भूमि रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादी/प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 17/10/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला–जयपुर)

(संजीव कुमार खेदर, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा, जयपुर

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर, राज0

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजीव कुमार खेदर, आर. ए. एस

वाद संख्या :– 115 / 2024

शीर्षक

1. कविता बंसल पत्नी श्री दिनेश बंसल, उम्र वयस्क, जाति महाजन, निवासी 243, न्यू क्लॉथ मार्केट, अहमदाबाद, राज्य गुजरात जरिये मुख्त्यारआम / अधिकृत व्यक्ति सुभाष जयपाल पुत्र श्री तामल राम, उम्र 42 वर्ष, जाति मेघवाल, निवासी नागाणा, तहसील आरंग, जिला बाडमेंर, राज0।

–वादीया

बनाम

1. कजोडमल पुत्र छोटूराम
2. सुणी देवी पत्नी फूलचन्द

समस्त वयस्क, जाति यादव, निवासी नवलपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

3. राजस्थान सरकार (भू–धारक) जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)
4. उपपंजीयक एवं उपतहसीलदार, उपपंजीयन व उपतहसील कार्यालय, मनोहरपुर, जिला जयपुर, राज0।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा अनतर्गत 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 17/10/25

उपर्युक्त विवेचनों के फलस्वरूप वादी का वाद कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता एवं आराजी खसरा नम्बर 1944 / 2 रकबा 0.61 है0 वाकै ग्राम नवलपुरा, पटवार हल्का नवलपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर के खातेदारान के मध्य बंटवारा कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

1. कजोडमल यादव पुत्र बोदूराम यादव हि0 31 / 92, सुणी देवी पत्नि फूलचन्द हि0 61 / 92 जाति अहीर सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 1944 / 2 / 1 रकबा 0.46 है0 किता 1 कुल रकबा 0.46 है0 भूमि रहेगी।
2. कविता बंसल पत्नि दिनेश बंसल जाति महाजन सा0 243, न्यू क्लॉथ मार्केट अहमदाबाद के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 1944 / 2 / 2 रकबा 0.15 है0 किता 1 कुल रकबा 0.15 है0 भूमि रहेगी।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादीगण /प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । पत्रावली निर्णित शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो एवं दर्ज नंबर से कम हो।

उक्त निर्णय व डिक्री आज दिनांक 17/10/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा द्वारा जारी की गई।

(संजीव कुमार खेदर, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4 रूपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	

न्यायालय सहायक कलक्टर

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.